(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 35 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री इन्द्राज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनु (विक्रेता, नोमिनी एवं स्टोर मैनेजर) मैसर्स वी–मार्ट रिटेल लि., सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल के सामने, इंडियन बैंक के पास, कोटा मेन रोड, बारां(राज.)
2. मैसर्स वी–मार्ट रिटेल लि., सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल के सामने, इंडियन बैंक के पास, कोटा मेन रोड, बारां
3. श्री कंवलजीत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह दंचोली (276) धनोता महेन्द्रगढ, हरियाण 123001(नोमिनी) मैसर्स वी–मार्ट रिटेल लि. बिलासपुर तौरा रोड, बिलासपुर गुडगांव 122413
4. मैसर्स वी– मार्ट रिटेल लि. बिलासपुर तौरा रोड, बिलासपुर गुडगांव 122413
5. श्री अरूण अग्रवाल(भागीदार) मै. श्री लक्ष्मी सेल्स कार्पोरेशन प्लाट नं. 262डी, सेक्टर 24, फरीदाबाद– 121001
6. श्री चन्द्रभान अग्रवाल(भागीदार) मै. श्री लक्ष्मी सेल्स कार्पोरेशन प्लाट नं. 262डी,सेक्टर 24, फरीदाबाद– 121001
7. मै. श्री लक्ष्मी सेल्स कार्पोरेशन प्लाट नं. 262डी,सेक्टर 24, फरीदाबाद– 121001(हरियाणा)
8. श्री विनय यादव पुत्र श्री रविन्द्र यादव ग्राम व पोस्ट मौदी नारनाल महेन्द्रगढ़ हरियाणा 123001(नोमिनी) मैसर्स हल्दीराम मार्केटिंग प्रा. लि. 8–1 / एच–8, मोहन कॉपरेटिव इण्ड. एस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली–110044
9. मैसर्स हल्दीराम मार्केटिंग प्रा. लि. 8–1 / एच–8, मोहन कॉपरेटिव इण्ड. एस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली–110044

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री आर.के. आहूजा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 31.10.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2022 को मैसर्स मैसर्स वी–मार्ट रिटेल लि., सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल के सामने, इंडियन बैंक के पास, कोटा मेन रोड, बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री इन्द्राज शर्मा(विक्रेता, नोमिनी एवं स्टोर मैनेजर) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28) नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दि[illegible]2.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** के 04 मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री इन्द्राज शर्मा (विक्रेता, नोमिनी एवं स्टोर मैनेजर) को 560/– रूपये (अक्षरे पांच सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** के चारों भागों पर अलग–अलग प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच. –1599 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1599 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री इन्द्राज शर्मा (विक्रेता, नोमिनी एवं स्टोर मैनेजर) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/435 दिनांक 02.12.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1521/PHL/kota/Act/2022/1521 दिनांक 28.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा [illegible] के अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी [illegible] दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:08 IST
Reason: Self Attested

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा [illegible] जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में प्रयोगशाला [illegible] होना दर्शाया गया है जो लेबलिंग ऑफ पैकेज्ड फूड्स के सेशन–4(6) के अनुसार छोटी–सी त्रुटि है। उक्त त्रुटि को वर्तमान पैकिंग पर दुरस्त कर लिया गया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा भी कई प्रकरणों में निर्णय पारित किये गये है कि अप्रार्थीगण को सुधारात्मक आदेश दिए जाकर उन्हें दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का भी कोई दोष नहीं है। अतः उन्हें भी दोषमुक्त किया जावें। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही सुधारात्मक आदेश दिए जाकर निरस्त की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1521/PHL/kota/Act/2022/1521 दिनांक 28.11.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पतीसा(Haldirams) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1521/PHL/kota/Act/2022/1521 दिनांक 28.11.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 5,6,7,8 एवं 9 को कुल जुर्माना राशि 85,000/— रूपये(अक्षरे पिच्यासी हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **31.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested